

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

कमांक ७/५३२५ /स्था.सैट / 2020

जबलपुर दिनांक 04/12/2020

श्रीमती मीनू निगम, सहायक ग्रेड-3 (निवर्तमान सैट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के विरुद्ध रजिस्ट्री आदेश कमांक सी/2855/स्था0सैट/2018, जबलपुर दिनांक 22.12.2018 द्वारा विभागीय जाँच निष्पादित की गई। विभागीय जाँच में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन दिनांक 31.07.2020 से सहमत होते हुए प्रकरण कमांक द्वितीय अपील कमांक 448/2012 (राधेश्याम विरुद्ध भुक्कन एवं अन्य) का रिकार्ड आपकी अभिरक्षा से गुम होने का दोषी पाते हुये The High Court of Madhya Pradesh (Absorption and Conditions of Service in respect of Officers and Employees of Abolished Madhya Pradesh Administrative Tribunal) Service Rules 2006 के नियम 12 (ए) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (i) के अंतर्गत परिनिन्दा (Censure) की शास्ति से दंडित किया जाता है।


sc/-  
(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन कमांक ७/५३२६ / 2020

जबलपुर दिनांक 04/12/2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर।
2. रजिस्ट्रार (प्रशासन)/आई.एल./कम-पी.पी.एस./एम. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
3. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर/खण्डपीठ इंदौर
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
6. लेखा अधिकारी, सैट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय की निजी सचिव उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर।
8. सहायक स्थापना/सैट/प्रोटोकॉल/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर/ खण्डपीठ इंदौर
09. श्री दिलीप वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी/जाँचकर्ता अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर
10. श्रीमती प्रचीती तारनेकर, अनुवादक/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर
11. श्रीमती मीनू निगम, सहायक ग्रेड-3 (निवर्तमान सैट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(नरसिंह बघेल)  
रजिस्ट्रार (आई.एल.)